

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 रा0 प्रा0 वि0 आदर्श उण्डखा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सावंलसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर		1. पबसिंह पुत्र चिमनसिंह 2 किशनसिंह पुत्र दीपसिंह 3 जुगतसिंह पुत्र पुत्र दीपसिंह 4 मुलतानसिंह पुत्र दीपसिंह 5 शैतानसिंह पुत्र दीपसिंह 6 प्रेमसिंह पुत्र दीपसिंह 7 फफूकंवर पत्नी दीपसिंह 8 लखसिंह पुत्र विशनसिंह 9 सबलसिंह पुत्र रामसिंह जातियान राजपूत निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर 10 रूपाराम पुत्र टवाराम 11 ठाकराराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-190/2021 दिनांक-12.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 626/587 रकबा 30.17 बीघा, 628/589 रकबा 87.19 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 12/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6288-6291

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सावंलसिंह पुत्र श्री राणसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण पबसिंह पुत्र चिमनसिंह वगैराह जाति राजपूत/जाट निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर